न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 178/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 विक्रम पुत्र खींवाराम जाति मेगवाल निवासी बेरा धोलीबाड़ी, मेला का चौक, सोजत सिटी तहसील सोजत, जिला— पाली।		1. अर्जुन पुत्र तारांराम 2. पाबूराम पुत्र मंगलाराम जातिगण बावरी निवासीगण सुरायता, तह0 सोजत, जिला— पाली। 3. तहसीलदार सोजत (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः—

1. श्री पुनीत दवे, श्री मुकेश भाटी अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री नवनीत गहलोत, श्री विरमाराम मीणा अधिवक्तागण अप्रार्थी उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक 13/02/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 110,111,128 भू—राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा सुरायता पटवार हल्का सुरायता तहसील सोजत में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2732/2441 रकबा 0.7903 है0, खसरा नंबर 2733/2441 रकबा 0.0718 है0 की स्थित हैं। प्रार्थी की खातेदारी के खसरा नंबर 2732/2441 के चिपते ही अप्रार्थी सं0 1 अर्जुन की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 2731/2441 रकबा 0.1437 हैक्टर की कृषि भूमि है व उसके बाद उसके चिपते ही अप्रार्थी संख्या 2 पाबूराम की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 2730/2441 रकबा 2.5866 हैक्टर की कृषि भूमि स्थित है तथा प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 2732/2441 के दूसरी ओर चिपते ही प्रार्थी की ही खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 2733/2441 रकबा 0.0718 हैक्टर की कृषि भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 आये दिन माठ सीमाओं एवं काश्त को लेकर प्रार्थी से मन मुटाव करते रहते है व अप्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि खसरा नंबर 2731/2441 व 2730/2441 को प्रार्थी की भूमि में खिसकाते हुए अतिक्रमण करते हुए प्रार्थी की भूमि में खसरा नंबर 2732/2441 में नया धोरा व माठ लगाकर कृषि भूमि हड़प करना चाहते है अर्थात् अप्रार्थी संख्या 1 व 2 योजनाबद्ध तरीके से प्रार्थी की पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में जबरदस्ती अतिक्रमण कर मौके पर सीमा व माठ को लेकर आपसी विवाद करते रहते है। जिस पर प्रार्थी द्वारा तहसीलदार सोजत के समक्ष दिनांक 22/2/2022 को प्रार्थी के खातेदारी के खसरा नंबर जिन्हे प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 में वर्णित किया गया है का सीमाज्ञान करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार सोजत के आदेश अनुसार सम्बन्धित पटवार हल्का सुरायता ने दिनांक 11/3/2022 को उक्त भूमि पर मौके पर विवाद होने का उल्लेख कर तहसीलदार, सोजत को फर्द बनाकर प्रस्तुत किया उसके पश्चात् तहसीलदार सोजत ने दिनांक 21/4/2022 को पत्र कमांक राजस्व/2022/1029—1031 के जरिये सीमांकन हेतु टीम गठित कर भू अभिलेख निरीक्षक सुरायता एवं थानाधिकारी पुलिस थाना शिवपुरा को भी इमदाद हेतु पत्र प्रेषित किया। तहसीलदार सोजत के आदेश के पश्चात् भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि पर मौके पर नाजायज अतिक्रमण करने की कुचेष्टा कर रहा है जिसे प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 मौके पर सीमाज्ञान कराने एवं पत्थरगढ़ी करवाने से साफ इन्कार कर रहे है एवं प्रार्थी की भूमि में अवैध अतिक्रमण की ऐलानिया धमकी दे रहे है। इसलिए अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सरहद मौजा ग्राम सुरायता के प्रार्थी की खातेदारी के खसरा नंबर 2732/2441 व 2733/2441 तथा अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

2731/2441 तथा अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 2730/2441 का सीमांकन किया जाकर पत्थरगढ़ी किया जाने की ईश्तदुआ की हैं।

राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री नवनीत गहलोत ने वकालतनामा व जवाब प्रा0 पत्र पेश कर निवेदन किया कि पद सं0 01 व 02 सही होने से स्वीकार हैं। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जबकि मौके पर पूर्व से चले आ रहे कब्जा अनुसार ही उपयोग उपभोग किया जा रहा है, अब प्रार्थी की नियत में फर्क आ गया है, जो अब अप्रार्थी की भूमि को हड़प करने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 02 की ओर से अधिवक्ता श्री विरमाराम मीणा ने जवाब प्रा0 पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं 02 द्वारा तहसीलदार सोजत के आदेश क्रंमाक/राजस्व/कैम्प /2021/832 दिनांक 23.11.2021 सहमति बंटवाड़ा आदेश के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर, महोदय पाली के न्यायालय में अपील सं0 18/2024 अन्तर्गत धारा 225 आर0टी0 एक्ट के तहत पेश की, जो विचाराधीन हैं। प्रार्थी की कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 2 के चिपते ही स्थित नहीं है, जिससे सीमांकन, पत्थरगढ़ी का आदेश नहीं किया जा सकता हैं। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं0 की खातेदारी कृषि भूमि खरीदकर राजस्व कैम्प–2021 में अप्रार्थी सं0 2 के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर गलत बंटवाड़ा करवाया हैं। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार सोजत के समक्ष गलत प्रा0पत्र पेश किया, जिससे सीमांकन नहीं हो सका, बिना सीमांकन पत्थरगढ़ी का आदेश नहीं किया जा सकता हैं। प्रार्थी द्वारा मात्र अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो काबिले खारिज योग्य होने से खारिज किया जावें।

बहस प्रार्थना पत्र वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए व्यक्त किया कि सरहद मौजा सुरायता तहसील सोजत में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2732/2441, 2733/2441 की भूमि की सीमाओं को लेकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद होता रहता है। सीमाओ के विवाद के कारण दोनो पक्षो में मनमूटाव भी है। इस कारण उक्त भूमि का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगड्डी के जरिये मुटाम लगवाये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने व्यक्त किया कि तहसीलदार सोजत द्वारा राजस्व कैम्प–2021 में किये गए आपसी सहमति के बंटवाड़े की अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर, महोदय पाली के न्यायालय में विचाराधीन होने से अपील के निस्तारण तक पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 ने व्यक्त किया कि मौके पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है। अप्रार्थी सं0 2 का खसरा प्रार्थी के खसरे से नहीं लगता हैं तथा किस सीमा का विवाद है, उसका जिक्र नहीं किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा गलत आधारो पर उक्त प्रार्थना पेश किया है। मौके पर कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी ने झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया जो काबिल खारिज होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान पर गौर कर मनन किया गया। फहरिस्त के साथ प्रस्तुत मौका फर्द की छाया प्रति अनुसार मौके पर सीमाओं को लेकर विवाद होना स्पष्ट होता है। खातेदार को अपनी भूमि की सही सीमाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। लिहाजा सरहद मौजा सुरायता तहसील सोजत में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2732/2441, 2733/2441 का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिए मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

—: आदेश:—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सुरायता पटवार हल्का सुरायता तहसील सोजत में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2732/2441 रकबा 0.7903 है0, खसरा नंबर 2733/2441 रकबा 0.0718 है0 प्रार्थी की हक हकूक खातेदारी अधिकार एवं कब्जा की कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में संबंधित भू0अ0 निरीक्षक, संबंधित पटवारी व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 18/02/2025 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)